28.2.2020 पत्रावली पेश हुई। वकीलान उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 20-09-2019 एवं 18-10-2019 का अवलोकन किया गया। राजीनामा तसदीक

Scanned by CamScanner

किया गया। राजीनामा के अनुसार
प्रकरण का निर्णय पारित किया जाता
है कि मौजा पाल बोखला के खसरा
संख्या 358 रकबा 0.15 बिस्वा कृषि
भूमि जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या
1 से 8 के पिता हीरालाल ने संयुक्त
रूप से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख
से क्रय किया था। उक्त भूमि का 2/3
हिस्सा वादीगण के नाम तथा 1/3 हिस्सा
प्रतिवादीगण के स्व० पिता हीरालाल के नाम
राजस्व रेकार्ड में जरिये नामान्तरण अंकित
होना चाहिये था किन्तु हल्का पटवारी
ने नामान्तरण पंजिका की प्रविष्टी संख्या
542 से अकेले हीरालाल के नाम
नामान्तरण दायर कर दिनांक 25/11/1978
को प्रमाणित कर दिया। प्रतिवादीगण ने
वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को जरिये
राजीनामा स्वीकार किया तथा वादीगण
द्वारा चाहे गये अनुतोष के संबंध में
कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की अतः एवं
वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता
है तथा आदेश पारित किया जाता
है कि मौजा पालबोखला की आराजी
संख्या 358 रकबा 0.15 बिस्वा भूमि में
वादीगण को 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार
घोषित किया जाता है। तथा राजस्व रेकार्ड में
2/3 हिस्सा वादीगण के नाम एवं 1/3 हिस्सा
प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 के नाम अंकित
किया जावे। वादीगण ने प्रतिवादीगण के साथ
संयुक्त खातेदार घोषित किया जाता है।
निर्णयानुसार डिक्री पत्रक जारी हो।
पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम
होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Scanned by CamScanner